दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग-2

(विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी) वृहस्पतिवार,05 अक्तूबर, 2006 / आश्विन 13, 1928 (शक)

संख्या: 186

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तीसरी विधान सभा के नौवें सत्र का प्रारंभ:

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तीसरी विधान सभा का नौवाँ सन्न सोमवार, दिनांक 30 अक्तूबर, 2006 को अपराहन 2.00 बजे से विधान सभा सभागार, पुराना सचिवालय, दिल्ली में प्रारंभ होगा ।

नौवें सत्र के दौरान कार्य निष्पादन के लिये दिनों का आबंटन:

कार्य निष्पादन हेतु विधान सभा की बैठकें अस्थायी तौर पर 30,31 अक्तूबर,2006 एवं 1,2,3,6,7,8,9,10 नवम्बर, 2006 के लिए निर्धारित की गई हैं ।

विधान सभा की बैठकों का समय:

विधान सभा की बैठकें अपराहन 2.00 बजे प्रारंभ होगी और तब तक चलेंगी जब तक उसे, उस दिन के लिये स्थिगत न कर दिया जाये।

प्रश्नों की सूचनाएं एवं बैलेट:

नौवें सत्र के लिये प्रश्नों की सूचनाएं तत्काल प्रभाव से प्राप्त की जायेंगी ।

नौवें सत्र के दौरान प्रश्नों का उत्तर देने के लिये दिनों का आबंटन (नियम-37):

मंत्रियों द्वारा नौवें सत्र में विभिन्न विभागों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए निम्नानुसार दिनों को निर्धारित किया गया है: -

क्र. सं.	विभाग	बैठक की तिथि	कॉलम-2 में दर्शाये विभागों से संबंधित प्रश्नों के नोटिस प्राप्त करने की तिथि (अप. 3.00 बजे तक)	मौखिक रूप से पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए बैलेटिंग की तिथि (अप. 5.00 बजे)
1	2	3	4	
1	ऊर्जा, समाज कल्याण,श्रम,रोजगार,शिक्षा,पर्यटन,गुरुद्वारा	30.10.06 (सोमवार)	18.10.06 (सोमवार)	18.10.06 (सोमवार)
	चुनाव एवं गुरुद्वारा प्रशासन,कला, साहित्य एवं भाषा	06.11.06 सोमवार	24.10.06 (मंगलवार)	2410.06 (मंगलवार)
2	उच्च शिक्षा, सतर्कता, जल,प्रशिक्षण एवं	(31.10.06	19.10.06 (वृहस्पतिवार)	19.10.06 (वृहस्पतिवार)
	तकनीकी शिक्षा,लोक निर्माण एवं आवास, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण,अनुसूचित जाति,जनजाति भूमि एवं भवन, राजस्व	(मंगलवार 07.11.06 (मंगलवार)	24.10.06 (मंगलवार)	24.10.06 (मंगलवार)
3	गृह,कारागार,सेवाएं,वित्त,योजना,बिक्री कर एवं आबकारी एवं मनोरंजन,,खाद्य एवं संभरण,पर्यावरण,वन्य एवं वन्य जीवन	01.11.06 (बुधवार) 08.11.06	20.10.06 (शुक्रवार) 26.10.06	20.10.06 (शुक्रवार) 26.10.06
	समरण,पदावरण,पन्य ९व वन्य जानन	(बुधवार)	(वृहस्पतिवार)	(वहस्पतिवार)
4	विकास,सहकारिता,परिवहन,चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य,परिवार कल्याण,,खाद्य	02.11.06 (वृहस्पतिवार)	20.10.06 (शुक्रवार)	20.10.06 (शुकवार)
	अपमिश्रण,उद्योग,चुनाव,सूचना एवं प्रचार	09.11.06 (वृहस्पतिवार)	26.10.06 (वहस्पतिवार)	26.10.06 (वहस्पतिवार)
5	प्रशासनिक सुधार,सामान्य प्रशासन विभाग,जन सम्पर्क,विधि न्याय एवं विधायी	1	23.10.06 (सोमवार)	23.10.06 (सोमवार)
	कार्य विभाग , सूचना प्रोद्योगिकी,शहरी विकास	10.11.06 (शुक्रवार)	27.10.06 (शुक्रवार)	27.10.06 (शुक्रवार)

टिप्पणी

 प्रश्न सामान्यतः एक ही विभाग से संबंधित होने चाहिए (नियम-31(xxii)) नौवें सत्र हेतु प्रश्नों की सूचना तत्काल प्रभावी होगी ।

2. माननीय सदस्य कृपया ध्यान दें कि कालम 3 और 4 के अनुसार यदि विभिन्न विभागों से संबंधित किसी प्रश्न की सूचना अंतिम तिथि और समय के पश्चात प्राप्त होगी तो ऐसी सूचना अस्वीकृत मानी जायेगी । सूचनाएं प्राप्त करने का समय अपराहन 3.00 बजे तक है ।

3. जहां प्रश्न में किसी राष्ट्रीय अथवा स्थानीय दैनिक समाचार-पत्र में प्रकाशित किसी समाचार का हवाला दिया जाये, वहां ऐसे प्रश्न को ग्राह्य बनाने हेतु उसके साथ संबंधित समाचारों की कतरन नत्थी करना आवश्यक है। इस तरह के जिन प्रश्नों के साथ संबंधित समाचारों की कतरनें नत्थी नहीं की जायेंगी, उन्हें अस्वीकृत कर दिया जायेगा

4. प्रश्नों को संयुक्त केवल उसी स्थिति में किया जायेगा, जब एक ही तरह के विषय पर बहुत से प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त होंगी । बाद में प्राप्त की गयी सूचनाएं, यदि उसी विषय से संबंधित होगी तो उन्हें नियम-31(vii) के अंतर्गत अस्वीकार कर दिया जायेगा

5. माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वे प्रश्नों पर अपनी प्राथमिकता का संकेत स्पष्टता और सफाई से दें । यदि प्राथमिकता का संकेत नहीं दिया जाता है तो प्राथमिकता का निर्णय नियमों के अनुसार किया जायेगा।

6. प्रश्नों की बैलेटिंग सचिव के कमरा नं.54 में दिए गये समयानुसार की जायेगी । सभी

माननीय सदस्य बैलेटिंग में सम्मिलत होने के लिए आमंत्रित है।

7. माननीय सदस्य कृपया ध्यान दें कि दिल्ली नगर निगम के दैनिक प्रशासन और कार्यकलापों से संबंधित सूचनाएं न दी जाएं । ऐसे प्रश्नों को नियम 31(xiii) के अंतर्गत अस्वीकार कर दिया जायेगा ।

नियम 280 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख:

जो माननीय सदस्य नियम 280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामलों को जिस दिन/तिथि को उठाना चाहते है, प्रस्तावित विषय की सूचना उसी दिन पूर्वाह्न 11.00 बजे तक दे सकते हैं। प्रथम 10 सूचनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करने हेतु बैलेटिंग प्रत्येक दिन पूर्वाहन 11.15 बजे सचिव, विधान सभा के कक्ष में की जायेगी । माननीय सदस्यों से बैलेटिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अनुरोध किया

सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे विशेष उल्लेख के पाठ को केवल 8-10 लाइनों तक ही सीमित रखें और सदन में उस विषय को उठाते समय केवल मूल पाठ हीं पढ़ें । विषय केवल एक ही विभाग एवं एक मुद्दे से संबंधित होना चाहिए । विधान सभा सचिवालय संबंधित विभाग को प्रायः उल्लेख के पाठ को हीं अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजता है ।

गैर सरकारी सदस्यों का कार्य:

शुक्रवार, 3 एवं 10 नवम्बर,2006 की तिथियां गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों के लिये निर्घारित की गई हैं।

शुक्रवार, 03 नवम्बर, 2006 को लिये जाने वाले गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों की सूचनाएं प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 अक्तूबर, 2006 को अपराष्ट्रन 3.00 बजे तक हैं। जिनके लिये बैलेटिंग उसी दिन अपराष्ट्रन 4.30 बजे सचिव के कक्ष में सम्पन्न होगी।

शुक्रवार, 10 नवम्बर , 2006 को लिये जाने वाले गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों एवं संकल्पों की सूचनाएं प्राप्त करने की अंतिम तिथि 26 अक्तूबर, 2006 को अपराहन 3.00 बजे तक है। बैलेटिंग 26 अक्तूबर, 2006 को अपराहन 4.30 बजे सचिव के कक्ष में सम्पन्न होगी।

माननीय सदस्यों का बैलेटिंग में भाग लेने के लिए स्वागत है।

नोटिसों की प्रक्रिया

- (क) सदस्यों का ध्यान दिल्ली विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालंन नियम 258 की ओर आकर्षित किया जाता है, जो इस प्रकार से हैं: -
 - (i) नियमों द्वारा अपेक्षित प्रत्येक सूचना लिखित रूप में सचिव को सम्बोधित करते हुए दी जायेगी और सूचना देने वाले सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित की जायगी जिसमें उसकी विमाजन संख्या भी दर्शायी जायेगी तथा कार्यालय में ही दी जायेगी जो कि इस प्रयोजन के लिये शनिवार, रविवार या सार्वजनिक छुट्टी के दिनों को छोड़कर प्रत्येक दिन समय-समय पर अधिसूचित किये जाने वाले समय के लिये खुला रहेगा।
 - (ii) सूचना कार्यालय में उप-नियम (1) के अंतर्गत अधिसूचित समय के बाद प्राप्त हुई सूचनाएं अगले कार्य दिवस के लिये दी गई समझी जायेगी ।
- (ख) नोटिस देने वाले सदस्य को प्रत्येक सूचना पर मत विभाजन संख्या अंकित करते हुए बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखकर स्याही से हस्ताक्षर करने चाहिए और उसे विधान साथा के नोटिस कार्यालय में जमा कराना चाहिए । नोटिस कार्यालय कमरा नंबर 46 (समाज कल्याण मंत्री के कार्यालय से आगे) स्थित है ।

(ग) विधान सभा के नोटिस कार्यालय में दिए गए सभी नोटिसों पर तिथि की मुहर और नोटिस प्राप्त करने का समय भी अंकित किया जाता है ।

(घ) विधान सभा के नोटिस कार्यालय ही सदस्यों की सूचनाओं को बिना विलम्ब किये सम्बद्ध शाखाओं/अधिकारियों तक प्रेषित करने के लिए उत्तरदायी है । अतएव, सदस्यों से अनुरोध है कि अपनी सूचनाएं न तो सदन पटल पर रखें और न हीं विधान सभा के किसी अन्य अधिकारी/शाखा को दें यदि कोई सदस्य ऐसा करता है तो उनके द्वारा दिये गये नोटिस पर कोई ध्यान नहीं दिया जायेगा।

(ड.) विधान सभा नोटिस कार्यालय द्वारा नोटिसों को प्राप्त करने के लिए। विनिर्दिष्ट समय उनके लिए उल्लिखित तिथियों को प्रात: 10.00 बजे से अपराह्न 3.00 बजे के बीच है । माननीय सदस्यों की सुविधा हेतु नोटिस कार्यालय से कार्यालय समय के दौरान खुला रहेगा ।

दर्शक दीर्घा प्रवेश पत्र :

माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार दर्शक दीर्घा के प्रवेश पत्र जारी कराने के आवेदन-पत्र जिस दिन के लिए प्रवेश पत्र चाहिए, उस दिन से पूर्व एक कार्य दिवस को अपराहन 5.00 बजे तक अवश्य प्रस्तुत किये जाएं । उदाहरणार्थ 30/10/2006 को होने वाली सदन की बैठक के लिए दर्शक दीर्घा के लिये आवेदन पत्र पूर्व कार्य दिवस अर्थात् 27/10/2006(28 एवं 29/10/2006 को अवकाश होने के कारण) को अपराहन 5.00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे । इसी प्रकार अनुवर्ती तिथियों के दीर्घा प्रवेश पत्रों के लिये आवेदन पत्रों पर कार्रवाई की जायेगी और वे इसी प्रकार से स्वीकार किये जाएंगे ।

दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए सीमित स्थान होने के कारण एक सदस्य को प्रत्येक बैठक के लिए दो से अधिक प्रवेश पत्र जारी नहीं किए जाएंगे । दर्शक दीर्घा के लिए प्रवेश-पत्र सामान्यतः उसी दिन जारी नहीं किये जाएंगे।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे केवल उन्हीं दर्शकों की सिफारिश करें जिनके चरित्र के बारे में वे भली-भांति जानते हैं।

टिप्पणी:

कृपया मोबाइल टेलिफोन आदि सदन के बाहर ही रखें। यदि किसी कारणवश ले आये हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि सदन में इनके स्विच बंद रहें।

> सिद्धार्थ राव सचिव

नौवां सत्र बैठकों का अस्थायी तिथि-पत्र

क्र.सं.	बैठक की तिथि	दिन	कार्य
1.	30 अक्तूबर,2006	सोमवार	सरकारी कार्य
2.	31 अक्तूबर,2006	मंगलवार	सरकारी कार्य
3.	01 नवम्बर,2006	बुधवार	सरकारी कार्य
4.	02 नवम्बर,2006	वहस्पतिवार	सरकारी कार्य
5.	03 नवम्बर,2006	शुक्रवार	गैर सरकारी सदस्यों का कार्य
	04 नवम्बर,2006	शनिवार	अवकाश
	05 नवम्बर्र,2006	रविवार	अवकाश
6.	06 नवम्बर,2006	सोमवार	सरकारी कार्य
7.	07 नवम्बर,2006	मंगलवार	सरकारी कार्य
8.	08 नवम्बर,2006	बुधवार	सरकारी कार्य
9.	09 नवम्बर,2006	वृहस्पतिवार	सरकारी कार्य
10.	10 नवम्बर,2006	शुक्रवार	गैर सरकारी सदस्यों का कार्य

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative & other matters) Thursday the 5th October 2006/13 Ashvina 1928 (Saka)

No. 186

COMMENCEMENT OF THE NINTH SESSION OF THE THIRD LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI:

Hon'ble Members are informed that the Ninth Session of the Third Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi will commence on Monday the 30th October 2006 in the Assembly Hall, Old Secretariat, Delhi.

ALLOTMENT OF THE DAYS FOR THE TRANSACTION OF BUSINESS DURING NINTH SESSION:

The sittings of the Legislative Assembly for the transaction of business have been tentatively fixed for 30, 31 October 2006 and 1-3, 6-10 November 2006.

TIME OF SITTINGS OF LEGISLATIVE ASSEMBLY:

The sitting of the Legislative Assembly shall commence at 2.00 P.M. and continue till it is adjourned for the day, unless the Speaker directs otherwise.

NOTICES OF QUESTIONS:

Notices of questions for the Ninth Session will be received with immediate effect.

ALLOTMENT OF DAYS FOR ANSWERING QUESTIONS DURING THE NINTH SESSION (RULE 37):

For the Ninth session the days for answering questions by Ministers in respect of various Departments have been arranged as follows:

...2/-

SI.	Groups of Departments	Date of	Last date for	Date of
No.	Greaps or Beparaments	sitting	receipt of questions for	holding ballot for
			the Department	determination
			in col. 2	of priority for
			(Up to 3.00	oral questions
			PM)	(At 5.00 PM)
1	2	3	4	5
1		30.10.2006	18.10.2006	18.10.2006
	Power, Social Welfare, Labour,	(Monday)	(Wednesday)	(Wednesday)
	Employment, Education,	(11 200(24.10.2006	2410 2006
	Tourism, Gurudwara Elections &	6.11.2006	24.10.2006	24.10.2006
	Administration, Art, Culture and Languages.	(Monday)	(Tuesday)	(Tuesday)
2	- Languages	31.10.2006	19.10. 2006	19.10. 2006
	Higher Education, Vigilance,	(Tuesday)	(Thursday)	(Thursday)
	Water, Trg. And Technical	((11111111)	(11101000)
	Education, PWD and Housing,	07.11.2006	24.10.2006	24.10.2006
	Revenue, Irrigation and Flood	(Tuesday)	(Tuesday)	(Tue.sday)
	Control, Welfare of SC/ST, Land			
	and Building			
3		1.11.2006	20.10.2006	20.10.2006
	Home, Jail and Services, Finance,	(Wednesday)	(Friday)	(Friday)
	Planning, Sales Tax and Excise&			
	Entertainment, Food & Supplies,	8.11.2006	26.10.2006	26.10.2006
	Environment Forests & Wild Life	(Wednesday)	(Thursday)	(Thursday)
				137
4.		2.11.2006	20.10.2006	20.10.2006
	Development, Cooperative,	(Thursday)	(Friday)	(Friday)
	Transport, Medical & Public	0.11.2007	26102006	26402006
	Health, Family Welfare, PFA,	9.11.2006	26.10.2006	26.10.2006
	Industries, Election, Information and Publicity.	(Thursday)	(Thursday)	(Thursday)
5.	Administrative Reforms, GAD,	3.11.2006	23.10.2006	23.10.2006
	Public Relations, Law, Justice	(Friday)	(Monday)	(Monday)
	and Legislative Affairs, –	()	((I.zonacj)
	Information Technology, Urban	10.11.2006	27.10.2006	27.10.2006
	Development.	(Friday)	(Friday)	(Friday)

Note:

- 1. The question should primarily relate to one Department only {(Rule 31(xxii)}.
- .2. Members may kindly note that if notice of question is received after the last date and time in respect of various departments vide col. No.3 and 4, such a notice

3. Where the questions draw a reference to a news item published in a national or local daily, the question in order to be admissible, must be accompanied by the relevant clipping of the news items. The questions not accompanied by relevant clippings are likely to be disallowed.

49.32. 11.034

4. The clubbing of questions will be done in case several notices of question on the same subject matter are received. Notices or questions subsequently received and repeating in substances the same subject – matters are liable to be disallowed {(Rule 31 (vii)}.

- Members are requested to indicate clearly and legibly their priority in respect of questions. If no priority is indicated, the same will be decided according to the Rules.
- Ballot will be held in the room of the Secretary (Room No. 54) as per schedule indicated. Hon'ble Members are welcome to participate in the balloting.
- 7. Members may kindly note that notices of questions relating to day- to day administration and functioning of Municipal Corporation of Delhi may not be entertained. The same are liable to be disallowed under Rule 31(xiii).

SPECIAL MENTIONS UNDER RULE 280:

Members who want to raise matters under Rule 280 may give notice of the same by 11.00 A.M. on the day the matter is proposed to be raised. Balloting for fixing inter-se priority for the first 10 notices will be held in the room of the Secretary at 11.15 AM on each day. Hon'ble Members are requested to participate in the balloting.

Members are requested to confine the text of the Special Mention to 8-10 lines only and not to deviate from the original text while raising the same on the floor of the House. The matter should relate to only one Department and raise only one issue.

PRIVATE MEMBER'S BUSINESS:

The sittings of the House to be held on Friday the 3rd and 10th November 2006 have been allotted for Private Members Bills and Resolutions.

The last date of receipt of notices of Private Member's Bills and Resolutions is Friday the 20th October 2006 (up to 3.00 PM) in respect of notices for 3rd November, 2006 and the balloting for the resolutions shall take place at 4.30 PM on same day in the room of the Secretary. Members are welcome to participate in the balloting.

The last date of receipt of notices of Private Member's Bills and Resolutions is Thursday the 26th October 2006 (up to 3.00 PM) in respect of notices for 10th November, 2006 and the balloting for the resolutions shall take place at 4.30 PM on same day in the room of the Secretary. Members are welcome to participate in the balloting.

PROCEDURE OF NOTICES:

- (a) Kind attention of the members is invited to Rule 258 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Legislative Assembly which reads as follows: -
 - (1) Every notice required by the rules shall be given in writing addressed to the Secretary and signed by the member giving notice, also indicating his division number, and shall be delivered in the Notice Office between such hours as notified from time to time, on every day except Saturdays, Sundays and public holidays.
 - (2) A notice received in the Notice Office after the hours other than those specified in sub-rule (1) shall be treated as given on the next working day.

(b) The Notice Office is located in Room No. 46

(c) All notices delivered in the Assembly Notice Office are date-stamped and the time of receipt is also indicated thereon.

(d) As the Assembly Notice Office is alone responsible for transmission of the notices to the Branches/Officers concerned without delay, Members are, therefore, requested not to deposit their notices either at the Table of the House or with any other Officer/Branch of the Assembly Secretariat. If any Members do so, it is not likely to be taken note of.

(e) The Assembly Notice Office shall remain open during office hours i.e. 9.30 AM to 6.00 PM.

VISITORS' GALLERY:

As per direction of Hon'ble Speaker, Application forms for the issue of visitors' gallery passes must be submitted by 5.00 PM on the working day previous to the date for which the gallery passes are required. For example, application for the gallery passes meant for sitting of the House on 30th October 2006 will be accepted up to 5.00 PM on the earlier working day i.e. 27th October 2006(28th and 29th October 2006 being holidays). Similarly, an application for gallery passes for the subsequent dates would be processed and issued in the like manner.

The seating capacity in the visitors' gallery being limited, not more than two passes shall ordinarily be issued to a member for each sitting. No admission cards for the Visitors Gallery will ordinarily be issued on the same day.

Members are requested to recommend issue of gallery pass only for those visitors whose antecedents are well known to them.

NOTE: - Hon'ble Members may kindly ensure that cellular phones, pagers or other electronic gadgets etc are kept outside the House or are kept switched off.

Siddharath Rao Secretary

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY NINTH SESSION PROVISIONAL CALENDAR

Sr. No.	Date of Sitting	Day	Remarks
1.	30.10.2006	Monday	Government Business
2.	31.10.2006	Tuesday	Government Business
3.	01.11.2006	Wednesday	Government Business
4.	02.11.2006	Thursday	Government Business
5.	03.11.2006	Friday	Private Members' Business
6.	04.11.2006	Saturday	Holiday
7.	05.11.2006	Sunday	Holiday
	06.11.2006	Monday	Government Business
•	07.11.2006	Tuesday	Government Business
0.	08.11.2006	Wednesday	Government Business
1.	09.11.2006	Thursday	Government Business
2.	10.11.2006	Friday	Private Members' Business